रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012025-260145
CG-DL-E-10012025-260145

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2025/पौष 20, 1946
No. 23]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2025/PAUSHA 20, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 03/2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 24(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, पंजीकृत गैर-निवासी कर योग्य व्यक्ति द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के अन्तर्गत, दिसम्बर, 2024 माह के लिए प्रारूप जीएसटीआर-5 में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के पंद्रहवे दिन तक आगे बढाते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20021/2/2025-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 03/2025 – CENTRAL TAX

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by a non-resident taxable person, in FORM GSTR-5, under sub-section (5) of section 39 of the said Act read with rule 63 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 15th day of January, 2025.

[F. No. CBIC-20021/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 04/2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 25(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, इनपुट सेवा वितरक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 65 के अन्तर्गत, दिसम्बर, 2024 माह के लिए प्रारूप जीएसटीआर-6 में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के पंद्रहवे दिन तक आगे बढाते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20021/2/2025-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 04/2025 – CENTRAL TAX

G.S.R. 25(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by an Input Service Distributor in FORM GSTR-6 under sub-section (4) of section 39 of the said Act read with rule 65 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of December, 2024 till the 15th day of January, 2025.

[F. No. CBIC-20021/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 05 /2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 26(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 51 के उपबंधों के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती करने हेतु अपेक्षित पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत प्रारूप जीएसटीआर-7 में, दिसम्बर, 2024 माह के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के बारहवें दिन तक आगे बढाते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20021/2/2025-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 05/2025–CENTRAL TAX

G.S.R. 26(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner , on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return by a registered person, required to deduct tax at source under the provisions of section 51 of the said Act, in FORM GSTR-7 under sub-section (3) of section 39 of the said Act read with rule 66 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, for the month of December, 2024, till the 12th day of January, 2025.

[F. No. CBIC-20021/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2025

सं. 06/2025 – केंद्रीय कर

सा.का.नि. 27(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 52 की उपधारा (4) के प्रथम परंतुक के साथ पठित धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, दिसम्बर, 2024 माह के लिए उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 67 के अन्तर्गत प्रारूप जीएसटीआर-8 में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संचालक के माध्यम से की गई माल या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्तियों के ब्यौरे सहित विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को, माह जनवरी, 2025 के बारहवें दिन तक आगे बढाते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-20021/2/2025-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2025

No. 06/2025 – CENTRAL TAX

G.S.R. 27(E).— In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (4) of section 52 read with section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the statement, containing the details of outward supplies of goods or services or both, effected through an e-commerce operator, in FORM GSTR-8, under sub-section (4) of section 52 of the said Act read with rule 67 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 for the month of December, 2024 till the 12th day of January, 2025.

[F. No. CBIC-20021/2/2025-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA